

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. :::: 85/2017

सरकार बनाम बन्शीलाल पुत्र बीरबल, जाति-जाट,
निवासी- सूरजगढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 15.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बन्शीलाल पुत्र बीरबल, जाति-जाट, निवासी-सूरजगढ़ द्वारा रोही मौजा सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 8 कुल रकबा 4.20 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर फसल बाजरा काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 29 पर
वर्ष 2017-18 में खपये 6/ कायम कि.
राजस्व लेखाकार

४'
(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़